न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 60/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नजीर अली के कायम मुकाम 1/1 मुराद अली पुत्र 1/2 हमीदा बानो पत्नि 1/3 नसीम बानो पुत्री 1/4 रूकसाना बानों पुत्री 2. फुल मोहम्मद के कायम मुकाम 2/1 अनीसा बानो पत्नि 2/2 हीना बानो पुत्र 2/3 मेहबूब अली पुत्र लालजी सभी जातियान मुसलमान निवासी– हाल अलीपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।		1 भंवरू के कायम मुकामः– 1/1 नाथूराम पुत्र भंवरू के का0मु0 1/1/1 मुकेश पुत्र 1/1/2 महेन्द्र पुत्र 1/1/3 पप्पूडी पत्नि 1/2 अर्जुन पुत्र भंवरू 1/3 गणेश पुत्र भंवरू के का0मु0 1/3/1 काली देवी पत्नि 1/3/2 मन्जू पुत्री 1/3/3 मोनिका पुत्री 1/3/4 कंचन पुत्री 1/3/5 सोनीका पुत्री 1/4 मूलाराम पुत्र भंवरू 1/5 उगमाराम पुत्र भंवरू 1/6 भंवरीदेवी पत्नि भंवरू(नामविलोपित) 1/7 प्रतापी पुत्री जवाराजी 1/8 धापी पुत्री जवाराजी 1/9 बिरम पुत्री देवी के का0मु0 1/9/1 प्रभूराम पुत्र 1/9/2 सोपाल पुत्र 1/10 मिश्रीलाल पुत्र देवीजी सभी जातियान गुर्जर निवासी बाडिया सालिया, सुमेल तहसील रायपुर जिला पाली। 2. कालू खा पुत्र झूमरदीन के का.मु. 2/1 भंवरू खा पुत्र 2/2 साबूखॉ पुत्र कालू खा के का.मु. 2/2/1 हजरत पुत्र 2/2/2 इब्राहिम पुत्र 2/2/3 सुबानी बानो पत्नि साबूदीन 2/3 मेहबूब खा पुत्र कालू खा 2/4 सरवर खा पुत्र कालू खा 2/5 अलारकी बानों पुत्री कालू खा 2/6 बिसमिला बनों पुत्र कालू खा 2/7 मुनीरा बानों पत्नि कालू खा 3. अकबर पुत्र झूमरदी खां 4. रमजान पुत्र झूमरदी खां 5. अजीज खा पुत्र झूमरदी खां सभी जातियांन मुसलमान कायमखानी, निवासी–नाहरगढ, सुमेल तहसील रायपुर जिला पाली। 6. तहसीलदार, रायपुर जिला पाली 7. पटवारी, पटवार हल्का सुमेल प्रफोर्मा पक्षकारः–– 8. इसाक अली पुत्र नजीर अली 9. मस्तानअली पुत्र नजीर अली 10. सलीम अली पुत्र फूल मोहम्मद 11. सदाम अली पुत्र फूल मोहम्मद जातियान–मुसलमान, निवासी–अलीपुरा तहसील पीसांगन जिला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2019 जो राजस्व अपील संख्या 43/2016 अनवान नाथूराम वगैराह बनाम तहसीलदार वगैराह में अति0 जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से की ओर से।
2– श्री ओंकार सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/5, 1/7, 1/8 की ओर से
3. श्री बी.के. मेहर, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/1, 2/4, 4, 10 की ओर से।
4– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6,7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 –08–2022

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख0सं0 953 रकबा 58.06 बीघा, ख0सं0 1032 रकबा 27.19 बीघा, ख0सं0 1031 रकबा 87.05 बीघा, ख0सं0 954 रकबा 4.19 बीघा, ख0सं0 1179 रकबा 21.05 बीघा, ख0सं0 1180 रकबा 26.05 बीघा, ख0सं0 1181 रकबा 23 बीघा कृषि भूमि ग्राम सुमेल में आई हुई है।

नामा0 संख्या 44 जों कि ख0सं0 1244 का भरा जिसमें अन्य खातेदारान के पिता का देहान्त होने के प्श्चात अन्य खातेदारान से मिलीभगती कर नामा0 के उपर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर उसके स्थान पर गंगा का नाम दर्ज किया एवं अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के ख0सं0 4212 एवं अन्य खसरा नम्बर भर दिये जो देखने में पढ नहीं सकते। उक्त गलत इन्द्राज करते हुए अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलान्ट के स्थान पर गंगा का नाम दर्ज कर दिया जबकि गंगा का देहान्त दिनांक 12.03.1995 को हो गया। हल्का पटवारी से जानकारी चाही जाने पर उनके द्वारा नामा0 पंजीबद्ध बेचान के आधार पर हुआ है। तब बेचान एवं नामा0 की जानकारी हुई। परन्तु ऐसा कोई बेचान नहीं हुआ। फर्जी तरींके से मिलीभगती करते हुए बेचान कर नामा0 संख्या 44 कूटरचित व गलत भरवा लिया तत्पश्चात नामा0 संख्या 713 भरवा लिया गया।

साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि नामा0 संख्या 44, 713, 707 तीनों नामा0 की एक ही अपील उपखण्ड अधिकारी, रायपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें अन्तिम निर्णय दिनांक 10.01.1996, नामा0 संख्या 713 दिनांक 30.03.1977, व नामा0 संख्या 707 दिनांक 30.03.1977 को चुनौती की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के अन्तिम निर्णय में नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.01.1996 किसके द्वारा स्वीकृत किया गया एवं मोहर का स्पष्ट अंकन नहीं होने होकर केवल हस्ताक्षर है, नाम व मोहर का अंकन नहीं होने से सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही करे। जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 ने अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए दिनाक 08.01.2019 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम नाहरगढ तहसील रायपुर के नामा0 संख्या 44 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश 10.01.1996 को

उक्त नामा0 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है, तहसीलदार रायपुर नामा0 तदनुसार कार्यवाही करें। उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दौरान सुनवाई वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील में अंकित किये गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त खसरान भूमि में पूर्व में खातेदार श्री जवारा थे। श्रीमती गंगा जवारा की पत्नि थी। श्रीमती गंगा ने अपने हिस्से की कुछ भूमि का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 02.02.1977 को कर दिया जिस पर मौके पर कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया जबसे भूमि के मालिक अपीलांटगण है जिनके अन्य किसी का कोई हिस्सा/दखल नहीं है। उक्त बेचान के आधार पर नामा0 संख्या 713 दिनांक 30.03.1977 को स्वीकृत हुआ। उकत बेचाननामें को आज दिन तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है वो आज भी प्रभाव में हैं, अब अपीलान्ट के पक्ष में हुए बेचाननामें को चुनौती देने में कोई भी सक्षम नहीं हैं। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 को इसकी भली–भांति जानकारी है। इसके बावजूद भी रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 अपीलान्ट को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके आधार पर अपील ही मेन्टेनेबल नहीं थी। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने अपील में अपीलान्ट के अलावा अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि सभी आवश्यक पक्षकार थे। ऐसे में प्रथम अपील निरस्त करने योग्य थी। ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया है जो अपाप्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का यह मानना कि जवारा फौत होने पर नामा0 भंवरू के नाम नामा0 दायर किया गया था। उस नामा0 के आधार पर दायर प्रविष्टी को बिना किसी आदेश के अभाव में परिवर्तित किया जाकर भंवरू पुत्र जवारा का नाम विलोपित करते हुए गंगा के नाम नामा0 दायर किया गया है जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। भंवरू जवारा का जाईन्दा पुत्र अथवा गोदीपुत्र नहीं था लेकिन गंगा की जमीन हडपने के लिये फर्जी तौर पर गोदीपुत्र बन कर नामा0 संख्या 1013 नाम दर्ज करवाया जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। श्रीमती गंगा ने अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान दिनांक 2.2.1977 को अपीलान्ट को बेचान किया। नामा0 संख्या 44 में गंगा की शेष जमीन बाबत दर्ज किया गया और बिना किसी आधार के इन्द्राज को विलोपित किया जिसके लिये अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं थी। भंवरू ने अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न की जब अपीलान्ट फूल मोहम्मद ने उसके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी थी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 की ओर से प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने म्याद के बिन्दू पर लेश मात्र भी विवेचन नहीं किया जबकि म्याद पर विवेचन करना आवश्यक होता है क्योकि धारा 05 म्याद प्रार्थनापत्र का निस्तारण कानूनन मेन्डेटरी है। ऐसे में म्याद प्रार्थना पत्र के निस्तारण के अभाव में यही अवधारणा की जायेगी कि न तो देरी माफ की गई और न ही अपील अन्दर म्याद मानी गई है। ऐसे में गुणावगुण पर प्रथम अपील को निस्तारित की जाना स्वत: ही विधि विरूद्ध है।

न्यायालय मे पक्षकार नहीं थे परन्तु रेकर्डेड खातेदार होने से पीडित पक्षकार है इसलिये अपील पेश करने की अनुमति दी जावे इसके लिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजों के अनुसार अपीलाधीन आदेश Speaking Order की श्रेणी में नहीं होने एवं Arbitrary Pronounce व capricious होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2/1, 2/4, 4, 10 के अधिवक्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न निर्णय नजीरे प्रस्तुत की यथा– 2019(2)आरआरटी पेज 1392, 2019(2)आरआरटी पेज 1125, 2019(1) आरआरटी पेज 648, 2019(2)आरआरटी पेज 1555, 2021(1)आरआरटी पेज 391

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0मु0 1/5 उगमाराम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 भंवरू पुत्र जवारा के का.मु./वारिसान की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 953 रकबा 58.11 बीघा, ख0सं0 1032 रकबा 27.19 बीघा कुल रकबा 86 बीघा 05 बिस्वा ग्राम सुमेल में आई हुई है जिसमें भंवरू पुत्र जवारा का 1/10 हिस्सा संयुक्त रूप से आया हुआ है तथा काबिज काश्त है जो जमाबन्दी में दर्ज अंकन से स्पष्ट है। ख0सं0 1244 के खातेदार झूमरदीन वगैराह है। जिससे रेस्पो0 भंवरू के का0मु0 का कोई लेना–देना नहीं है। झूमरदीन के फौत होने पर उनके पुत्रों के नाम नामा0 संख्या 44 स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कार्मिकों ने अन्य खातेदारो से मिलीभगत कर फौतेदगी नामा0 के स्वीकृत होने के बाद में उक्त नामा0 संख्या 44 के उपर यानि निर्धारित कॉलम के उपर अपीलार्थीगण का नाम दर्ज कर उसके स्थान पर उसकी मॉ श्रीमती गंगा का नाम दर्ज कर दिया जो बिना किसी आधार के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही मनमाने तरीके से फौतेदगी नामा संख्या 44 की आड में रेस्पो0 /अपीलार्थीगण के पूर्वज भंवरू गोदपुत्र जवारा का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इन आधारों पर ही रेस्पो0 की प्रथम अपील को स्वीकार किया है, जो कि विधि अनुकूल से बहाल रखे जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन नामा0 में हुई लिपिकीय त्रुटि को विधि विरूद्ध माना है। नामा0 संख्या 44 फौतेदगी नामा0 है जो कि झूमरदीन के फौत होने पर उनके पुत्रों के नाम ख0सं0 1244 अनुसार भर स्वीकृत करवाया था लेकिन तत0 पटवारी हल्का ने स्वीकृत नामा0 के उपर के कॉलम से बाहर जाकर वहॉ रेस्पो0/अपीलान्ट भंवरू के का0मु0 अपीलान्टस का नाम हटा कर "गंगा जीवित होने से भंवर का नाम हटाया" की लाईन जोडकर कूटरचना कर झूमरदीन के साथ अन्य खातेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से नामा0 की मूल लिखावट के साथ छेडछाड कर नामा0 स्वीकृती का गलत फायदा उठाते हुए जमीन हडपने की कोशिश की थी जिसकी माननीय न्यायालय के समक्ष अपील की थी जिस पर पारित किया गया आदेश उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। [illegible]

होने से बहाल रखे जाने योग्य है। उक्त नामा0 कानूनी दृष्टि में शून्य होने से व गंग बेवा जवारा 1/10 वगैराह की हद तक अपास्त किया है तथा इस हद तक उक्त नामा0 से पूर्व की स्थिति को बहाल की जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया है, उससे वर्तमान अपीलान्ट नजीर अली के का0मु0 को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया हैं। जो सही है।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्राकृतिक न्याय के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय किया जो सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 713 व 707 के सम्बन्ध में न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में दिनांक 27.5.16 को विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। जिसके विरूद्ध पेश अपील म्याद बाहर यानि 04 वर्ष पश्चात पेश की है जो काबिल खारिज के है। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 44 फौतेदगी नामा0 है जो झूमरदीन के देहान्त उपरान्त दिनांक 10.01.1996 को भरा गया था जिसके कॉलम निर्धारित है, फिर भी हल्का पटवारी ने खातेदारों से मिलावट कर उन्हें फायदा पहुंचाने की नियत से फौतेदगी नामा0 खसरा संख्या 1244 के सम्बन्ध में भरा गया था। लेकिन रेस्पो0 संख्या 953, 1032 के खातेदारों भंवरू गुर्जर को नुकसान पहुंचाने की तथा खातेदारी जमीन को हडपने करने की नियत से गलत इन्द्राज किया गा था जो बिना किसी आधार के नामा0 भरा जा कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी दर्ज कर दिया गया था। उक्त नामा0 संख्या 44 जानबूझकर कूटरचना कर फर्जी लेखन कर नामा0 भरा जो विधिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है जो प्रारम्भ से शून्य है, उसमें भंवरू का नाम बिना किसी आदेश के विलोपित करते हुए गंगा का नाम दायर किया गया है, उस पर स्वीकृतिकर्ता के नाम मोहर का अंकन नहीं है जो विधि सम्मत नही होने से उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है, उसके विरूद्ध प्रस्तुत यह द्वितीय राजस्व अपील म्याद बाहर से खारिज काबिल के है।

नामा. विनिमय सम्बन्धी मामलों में, बेचान, विभाजन, कोर्ट के आदेश, डिक्री की पालना में, हकतर्क के मामले में, रहन, हिब्बे बख्शीश के मामलों में, हिस्से, सरेण्डर, अबन्डनमेंअट, समर्पण, परित्याग अवसान के सम्बन्ध में, तकावी ऋण के सम्बन्ध में, जब्ती के सम्बन्ध में, गोदनामें के सम्बन्ध में, फकूल, रहन के सम्बन्ध में, अनुपस्थित व्यक्तियों के बारे में नियम 138 लेण्ड रिकार्डस रूल्स तथा बिना उत्तराधिकारी के मरने की स्थिति में नियम 139, आवंटन के मामले में नामा0 में तस्दीक किया जाता है।

रेस्पो0 सं0 1 भंवरू के का0 मु0 1/5 उगमाराम के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि हस्तगण प्रकरण में जो नामा0 हुआ है उसमें भंवरू का नाम किसी आदेश के विलोपित करते हुए गंगा का नाम दायर किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। इसलिये उसे दुरूस्त करने बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है। नामा0 संख्या 44 के भरे जाने के बाद गंगा को जीवित बताकर एक फर्जी बेचाननामा तैयार कर बेचाननामा के आधार पर व फौतेदगी के आधार पर नामा0 संख्या 707 व 713 भर दिया गया है जिसे खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत

2016 में दोनों पक्षों की मजमें आम में पंचायत में बहस सुननने के उपरान्त आदेश पारित किया है। रेस्पो0 के वादग्रस्त भूमि पर मौके पर चले आ रहे कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व आधारहीन होने से तथा 04 वर्ष बाद पेश होने से म्याद बाहर होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अति0 जिला कलेक्टर पाली न्यायालय के समक्ष जो प्रथम अपील प्रस्तुत हुई है वो अपीलाधीन नामा0 संख्या 44 के विरूद्ध पेश की गई है जो दिनांक 10.01.1996 को स्वीकृत हुआ है एवं खसरा संख्या 1244 से सम्बन्धित है। जिसमें कॉलम संख्या 14 पर ''गंगा जीवित होने, भंवरू का नाम हटाया अंकित होने के साथ–साथ नीचे झूमरदीन के फौत हो जाने दो पुत्रों के नाम नामा0 भरा गया अवधि पार है।''

उक्त प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 44 दिनांक 10.01.1996 को स्वीकृत होने के बाद दिनांक 22.11.2016 को लगभग 20 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया हुआ है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न तो पूर्व में कोई निर्णय किया जाना पाया और न ही अपीलाधीन आदेश में इसका कोई अंकन किया और न ही उस विलम्ब के सम्बन्ध में अपील को अन्दर म्याद पेश किये जाने, म्याद बाहर पेश किये जाने बाबत कोई फाईडिंग दी गई है। जबकि अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व अपील में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाये गये उसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता। ऐसे में अपीलाधीन निर्णय विधि अनुकूल पारित किया जाना हुआ नहीं माना जा सकता।

वर्तमान अपील मे भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and

case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

उक्त अपील मे 20 वर्ष पुराने नामांतरकरण की अपील की जाकर खातेदारी अधिकार खातेदारी अधिकार हेतु प्रयास किया गया है जो न्यायसंगत विधिक प्रक्रिया नही है । नामान्तकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी सम्पति का अधिकार, स्वामित्व या हित सृजित नही होता है, यह केवल वित्तिय उदेश्य के लिए है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चाराजोही की जानी चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय मे नामांतरकरण अपील के जरिये उक्त अधिकार को चाहा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है ।

इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील मे भी उपरोक्त नामा0 संख्या 44 की जानकारी किस दिनांक को, किस माध्यम से, किस आधार पर हुई, होने के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं किया गया था, इसका भी विवेचन अपीलाधीन निर्णय में किया जाना आवश्यक था। उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के द्वारा आदेश दिनांक 27.5.2016 में दिये गये निर्देशों "नामा0 संख्या 44 दिनांक 10.01.1996 किसके द्वारा स्वीकृत किया गया व नाम व मोहर का स्पष्ट अंकन नहीं होने, होकर केवल हस्ताक्षर है, नाम व मोहर का अंकन नहीं होने से सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही करें।" को भी आधार बनाकर रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 44 में हुए इस प्रकार के संदेहास्पद अंकन के सम्बन्ध में विधिवत जॉच करवाने एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित रहता। रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रथम अपील में नामा0 में अंकित सहखातेदारान/खातेदारान के अलावा वादग्रस्त खसरान भूमि के वर्तमान के राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारान को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति तलब की गई है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय में उल्लेखित किये गये कथनों पर मनन करने अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली, अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा अधीनस्थ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक [illegible]

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर